न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—234/2018/225 आर.टी.एक्ट (2018/00234)

1. सुखदेव सिंह पुत्र स्व0 कुपा
2. भोला पुत्र स्व0 कुपा
3. बिरदा पुत्र स्व0 लाडू
4. पूनम पुत्र स्व0 लाडू
5. केसरसिंह पुत्र स्व0 लाडू
6. रणजीत पुत्र स्व0 लाडू
7. महेन्द्र पुत्र स्व0 लाडू
8. कम्मा उर्फ करमा पुत्र स्व0 हमीरा समस्त जाति रावत निवासी ग्राम गोहाना तहसील ब्यावर, जिला अजमेर।

अपीलांटस

बनाम

1. कालू पुत्र नाहरा
2. खीमा पुत्र गाजी **(फौत)**
   - 2/1 भरत पुत्र खीमा
   - 2/2 दिनेश पुत्र खीमा
   - 2/3 राधा पुत्री खीमा
   - 2/4 तारा पुत्र खीमा
   - 2/5 ऊषा पुत्री खीमा
   - 2/6 दीक्षा पुत्री खीमा
   - 2/7 रूकमा पत्नि खीमा
3. सोहनी बेवा नारायण
4. बाबू पुत्र नारायण
5. मिठू पुत्र गाजी
6. प्रताप पुत्र गाजी **(फौत)**
   - 6/1 श्रवण पुत्र प्रताप
   - 6/2 बलवीर पुत्र प्रताप
   - 6/3 गोविन्द पुत्र प्रताप
   - 6/4 सविता पुत्र प्रताप
   - 6/5 दिया पुत्री प्रताप
   - 6/6 गीता पुत्री प्रताप
   - 6/7 कंवरी पुत्री प्रताप
7. अशोक पुत्र केला
8. जगदीश पुत्र केला
9. सम्पत पुत्र केला
10. भोमा पुत्र पांचू
11. हरजी पुत्र पांचू **(फौत)**
    - 11/1 भोला पुत्र हरजी
    - 11/2 गोपला पुत्र हरजी
    - 11/3 नन्दू पुत्री हरजी
12. गेन्दी पत्नी जोरा पुत्र काना **(फौत)**
    - 12/1 लक्ष्मी पुत्री जोरा
    - 12/2 गंगा पुत्री जोरा

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

12/3 कमला पुत्री जोरा
12/4 कंकू पुत्री जोरा
13. सायरी पत्नी हरजी पुत्र दौला **(मृतक)**
14. भोला पुत्र हरजी पौत्र दौला
15. गोपाल पुत्र हरजी पौत्र दौला
16. नन्दू पुत्र हरजी पौत्र दौला
17. भीमा पुत्र केशा **(मृतक)** जरिए वारिसानः–
17/1 झूमी पत्नी स्व0 भीमा
17/2 गणपत पुत्र स्व0 भीमा
17/3 लक्ष्मण पुत्र स्व0 भीमा
17/4 सीता पुत्री स्व0 भीमा
17/5 गीता पुत्री स्व0 भीमा
18. हजारी पुत्र केशा
19. पांचू पुत्र केशा

समस्त जाति रावत निवासी गोहाना तहसील ब्यावर जिला अजमेर।

रेस्पोडेन्टस

20. ईश्वर पुत्र लक्ष्मण**(नाम तर्क)**
21. प्रभू पुत्र लक्ष्मण
22. प्रताप पुत्र लक्ष्मण
23. हजारी पुत्र हमीरा**(नाम तर्क)**

समस्त जाति रावत निवासी गोहाना तहसील ब्यावर जिला अजमेर।

24. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार ब्यावर जिला अजमेर।
25. उप–पंजीयक ब्यावर जिला अजमेर।
26. जिला कलक्टर, अजमेर।

तरतीवी रेस्पोडेन्टस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश दिनांक 15.05.2018 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर, राजस्व वाद संख्या 107/2015

उपस्थितः–

1. श्री पी.एस. नरूका, अभिभापक अपीलांट ।
2. श्री विजयसिंह रावत अभिभापक रेस्पोडेंट संख्या 1,3,9,15,18,19
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 24 से 26
4. रेस्पोडेंट संख्या 2/1 से 2/7,4,5,6/1 से 6/6, 7,8,10, 11/1 से 11/3, 12/1 से 12/4, 14,16,17/1 से 17/5, 21,22 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः–20.9.2022

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

1. यह अपील उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 107/2015 में पारित आदेश के विरूद्ध दिनांक 15.05.2018 को इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांटस ने रेस्पोडेंट के विरूद्ध एक वाद अंतर्गत धारा 53, 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी

अधिनियम सपठित धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर के न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम गोहाना तहसील ब्यावर में स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा नया 83 रकबा 9 बीघा 4 बिस्वा वादीगण/अपीलांट्स के पूर्वज कूंपा, लाडू, हजारी वगैराह पिसरांत हमीरा रावत अर्थात् स्व0 हमीरा पुत्र पन्ना रावत के समस्त परिवार को राजस्व कैम्प गोहाना दिनांक 6.5.1984 के द्वारा नियमन/आवंटित कर मौके पर कब्जा संभलाया गया, तब से उपरोक्त वादग्रस्त आराजीयात पर अपीलांटस के पूर्वज अपने जीवनकाल तक तथा उनके स्वर्गवास के पश्चात अब वादीगण/अपीलांटस काबिज काश्त चले आ रहे हैं तथा वादीगण/अपीलांटस के अतिरिक्त प्रतिवादी/रेस्पोडेंट अथवा अन्य किसी भी व्यक्ति का कोई कब्जा काश्त हक, हिस्सा, अधिकार या स्वत्व ना तो पूर्व में कभी रहा है और ना आज ही है। इसी अनुसरण में राजस्व रिकार्ड में उक्त भूमि कूपा, लाडूव हजारी के नाम अंकन की गई किंतु सहवन से वादी कम्मा उर्फ करमा पुत्र स्व0 हमीरा के नाम अंकित होने से रह गई जबकि सम्पूर्ण भूमि हमीरा के चारों पुत्र अर्थात सम्पूर्ण परिवार को आंवटित की गई थी तथा करमा भी उक्त भूमि पर संयुक्त रूप से ही काबिज चला आ रहा है। उपरोक्त भूमि संयुक्त एवं अविभाजित चली आ रही है जिसका बंटवारा कराना चाहते हैं। साथ ही यह भी निवेदन किया कि प्रतिवादी/रेस्पोडेंट का वादग्रस्त भूमि से किसी तरह का कोई संबंध व सरोकार नहीं है न ही इनके पूर्वजों को आवंटित की गई ना ही उनका कभी कोई कब्जा रहा है किंतु राजस्व कर्मचारियों की गलती एवं लापरवाही से उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादीगण/अपीलांटस व उनके पूर्वजों के नाम के साथ बिना किसी आधार व अधिकार के रेस्पोडेंट व उनके पूर्वजों का नाम अंकित कर दिया गया है उनके पूर्वजों का नाम राजस्व रिकार्ड से हटाया जाकर वादीगण व उनके पूर्वजों का नाम ही अंकित व कायम रखा जावें। तत्पश्चात उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर ने राजस्व लोक अदालत की भावना व मंशा के विपरीत जाकर अपीलांटस के पीठ पीछे अपीलांटस का प्रार्थना पत्र खारिज करने का आदेश पारित कर दिया। अपीलांटस को उक्त आदेश की जानकारी शिविर समाप्त होने एवं तारीख पेशी की जानकारी उनके अभिभाषक के पास दिनांक 5.07.2018 को जाने पर हुई जिस पर उसी दिन नकल हेतु आवेदन किया एवं दिनांक 6.7.2018 को वकील साहब को नकल प्राप्त हुई। तत्पश्चात दिनांक 12.7.2018 को वकील साहब के पास गए एवं वकील साहब ने उक्त आदेश को चुनौती देने को कहा जिस पर यह अपील उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर के आदेश दिनांक 15.05.2018 से व्यथित होकर यह अपील माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करता है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अतंर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पेश कर निवदेन किया कि उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर ने राजस्व लोक अदालत की भावना व मंशा के विपरीत जाकर अपीलांटस के पीठ पीछे अपीलांटस का प्रार्थना पत्र खारिज करने का आदेश पारित कर दिया। अपीलांटस को उक्त आदेश की जानकारी शिविर समाप्त होने एवं तारीख पेशी की जानकारी उनके अभिभाषक के पास दिनांक 5.07.2018 को जाने पर हुई जिस पर उसी दिन नकल हेतु आवेदन किया एवं दिनांक 6.7.2018 को वकील साहब को नकल प्राप्त हुई। तत्पश्चात दिनांक 12.7.2018 को वकील साहब के पास गए एवं वकील साहब ने उक्त आदेश को चुनौती देने को कहा जिस पर वकील साहब से सम्पूर्ण नकलें व पत्रावली लेकर रूपए पैसों

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

का बंदोबस्त कर दिनांक 3.8.2018 को अजमेर आए एवं वकील नियुक्त कर आज यह जानकारी से अंदर मियाद प्रस्तुत की जा रही है। अतः प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने जवाब/बहस अपील में कथन किया कि राजस्व लोक अदालत शिविर गोहाना में अपीलांटस व रेस्पोडेंट उपस्थित हुए थे एवं पक्षकारों के मध्य समझाईश की गई परंतु पक्षकारों के मध्य लोक अदालत की भावना से प्रकरण निस्तारित किए जाने की सहमति नहीं बनी जिससे विधि एवं लोक अदालत के नियमानुसार प्रकरण में आगामी कार्यवाही हेतु तारीख पेशी नियत की जानी चाहिए थी एवं ऐसा अपीलांटस को कहा गया था परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत की मंशा के विपरीत जाकर अपीलांटस के पीठ पीछे गलत एवं अविधिक रूप से उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्रार्थना पत्र खारिज कर संपूर्ण दावे को खारिज करने का आदेश पारित किया है। राजस्व लोक अदालत शिविर में प्रकरणों के निस्तारण हेतु राज्य सरकार ने गाईड लाईन जारी कर रखी है साथ ही यह निर्देश दे रखे हैं कि लोक अदालत में पक्षकारों की आपसी सहमति से ही ऐसे ही दिशा निर्देश समस्त अधीनस्थ अदालतों को दे रखे हैं इन सबके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने बिना समझौता एवं सहमति हुए वाद का निर्णय नहीं हुआ तो जानबूझ कर गलत एवं अविधिक रूप से अपीलांट्स के प्रार्थना पत्र को खारिज कर सम्पूर्ण वाद को निस्तारित कर दिया जो पूर्णतया राज्य सरकार, माननीय राजस्व मण्डल व लोक अदालत की मंशा के विपरीत है। उक्त प्रकरण प्रतिवादी काना पुत्र लाखा व दौला पुत्र लाखा के वारिसान के नोटिस हेतु नियत था। प्रतिवादी संख्या 13 के वारिस के रूप में गेंदी पत्नी स्व0 जोरा पुत्र काना व प्रतिवादी संख्या 14 दौला के वारिस गोपाल व नन्दू पुत्र स्व0 हजारी पुत्र दौला पूर्व में ही वाद एवं प्रार्थना पत्र में पक्षकार हैं एवं नोटिस तामील होकर राजस्व लोक अदालत शिविर में वारिस उपस्थित हुए हैं इसके बावजूद भी बिना पत्रावली को देखे केवल मात्र प्रार्थना पत्र व वाद को खारिज करने की मंशा एवं उद्देश्य से आदेश पारित किया गया है जो काबिल निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.05.2018 को निरस्त फरमाया जाने के आदेश प्रदान करावे।

6. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने जवाब/बहस में सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर बहस करते हुए बताया कि प्रार्थीगण को अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की जानकारी अधीनस्थ न्यायालय विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 27.04.2018 को पत्रावली दिनांक 15.05.2018 की पेशी हेतु लोक अदालत शिविर गोहाना में नीयत की गई एवं दिनांक 15.05.2018 को पक्षकार उपस्थित हुए परन्तु आपसी सहमति नहीं बनी जिससे पक्षकारों की उपस्थिति के हस्ताक्षर करवाये गयें। देरी के कारण संतोषजनक प्रार्थना–पत्र में अंकित नहीं किये है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को खारिज फरमाया जाने के आदेश प्रदान करावें।

7. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्टस श्री विजयसिंह ने दौराने जवाब/बहस अपील में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त वाद पत्रावली जो कि वर्ष 2011 से लम्बित चला आ रहा है तथा दौराने विचारण उक्त वाद अदम तकमील में दिनांक 08.06.2015 को खारिज कर दिया। उक्त आदेश दिनांक 08.06.2015 के संदर्भ में अपीलांटस

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 4 व 9 सपठित धारा 151 जा.दी. प्रस्तुत कर वाद रेस्टोरेशन हेतु आवेदन किया गया जिस पर उक्त रेस्टोरेशन प्रार्थना–पत्र को दर्ज कर नोटिस जारी किये, जो तामील नहीं होने तथा रेस्टोरेशन पत्रावली में भी नोटिस पेश नहीं किये, जिसकी हिदायत दिनांक 16.04.2018 को वादीगण को दी गई। इस प्रकार उक्त आदेश की पालना नहीं किये ाने पर उक्त प्रार्थना पत्र को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज किया गया है। वादीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेशों की वर्ष 2011 से 2018 तक पालना नहीं किये जाने पर उक्त प्रकरण को विधिवत् रूप से खारिज किया गया है जिसकी वर्तमान मान्नीय न्यायालय के समक्ष पोषणीय नही है। जिसके संदर्भ में न्यायिक दृष्टांत **1995(1) DNJ (Raj.) page 62** प्रतिपादित किया गया है। वादीगण/अपीलांटस द्वारा वाद में स्पष्टतया उल्लेखित किया गया कि " ग्राम गोहाना तहसील ब्यावर जिला अजमेर का वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 83 रकबा 9–04–00 वादीगण के पूर्वज कूंपा, लाडू, हजारी वगैराह पिसरान् हमीरा के नाम राजस्व कैम्प अभियान दिनांक 6.05.1984 को आवंटित की गई " तथा राजस्व रिकार्ड में उक्त भूमि कूंपा, लाडू व हजारी के नाम अंकन की गई किंतु सहवन से वादी कम्पा उर्फ करमा पुत्र हमीरा के नाम अंकित होने से रह गई। इस प्रकार धारा 88 के आज्ञापक सिद्धांतों के अनुरूप घोषणात्मक वाद कौन ला सकेगा, जो कि इस प्रकार से उपबन्धित किया गया है कि :–

1. एक अभिधारी (खातेदार)
2. एक सह अभिधारी(सह–खातेदार)
3. एक खुद–काश्त का अभिधारी (खुद–काश्त खातेदार)
4. एक उप–अभिधारी (उप–खातेदार)
5. एक भू–धारक(स्टेट के अलावा प्राईवेट अभिधारी)

उपरोक्तानुसार वादी कम्मा उर्फ करमा पुत्र हमीरा जब मूल आवंटन आदेश दिनांक 6.05.1984 में बतौर आंवटी के नाम अंकित नहीं है, जिससे वादग्रस्त भूमि के संदर्भ में वादी का प्रस्तुत वाद ना तो घोषणात्मक वाद तथा ना ही इन्द्राज दुरूस्ती करता है जिससे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद वास्ते उद्घोषणात्मक आज्ञप्ति विरूद्ध प्रतिवादीगण/रेस्पोडेंट के कानूनन पोषणीय नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिवत् होने से वर्तमान अपील चलने योग्य नहीं है। अतः माननीय न्यायालय से निवेदन है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील विधि के प्रावधानों एवं सिद्धांतों के विपरीत प्रस्तुत की गई है, जो कि माननीय न्यायालय के समक्ष कानूनन पोषणीय नहीं होने से खारिज किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

8. विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर की गई की बहस पर मनन किया गया एवं प्रार्थना पत्र व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवालेकन प्रार्थना पत्र में उल्लेखित कारणों पर विचार करने के उपरान्त न्यायहित में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता हैं तथा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती हैं।

9. तत्पश्चात पत्रावली में उपलब्ध अभिलेख, अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय का अवलोकन एवम् उभय पक्षकारान के अभिभाषकगण द्वारा बहस के दौरान दिये गये तर्को के क्रम में हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पत्रावली दिनांक 15.05.2018 को लोक अदालत कैम्प कोर्ट गोहाना में नियत की गई थी। उक्त लोक अदालत में प्रार्थी संख्या 01, 02, 03, 06, व 08 उपस्थित नही थें।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

लोक अदालत की भावना वहाँ मान्य होगी जहाँ पर सभी पक्षकारान के बीच समझौता, राजीनामा या विड्रो जैसे प्रकरण का निर्णय किया जा सकता है। जहाँ पक्षकारान किसी प्रकरण को कानूनी प्रक्रिया के द्वारा लड़ना चाहते है वहाँ पर लोक अदालत या कैम्प कोर्ट की भावना से प्रभाव रूप से पक्षकारान के मध्य निर्णय पारित नहीं किये जा सकते है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर द्वारा उक्त प्रकरण को लोक अदालत की परिभाषा के विरूद्ध जाकर प्रकरणों की संख्या बढ़ाये जाने के आधार पर यह आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 15.05.2018 को प्रकरण लोक अदालत में आपसी सहमति नहीं बनने के कारण प्रकरण को तकनीकी आधार पर खारिज किया है जो जबकि अधीनस्थ न्यायालय को चाहिए था कि यदि उनके द्वारा राजीनामा को प्रोपर नहीं माना गया तो प्रकरण में आगामी पेशी नियत कर प्रकरण को जवाब/सुनवाई का अवसर देते हुए गुणावगुण पर निर्णित करना चाहिए था। विधि का सिद्धान्त है कि जटिल तथा तकनीकी बिन्दुओं पर प्रकरण को निस्तारण करने की बजाए गुणावगुण पर प्रकरण का निस्तारण करना चाहिए। ऐसे आदेश विधि के पूर्णतया विपरीत होने से काबिल निरस्त किये जाने योग्य है। उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर के आदेश दिनांक 15.05.2018 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि वे पक्षकारान को जवाब/सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 4 व 09 जाप्ता दीवानी का निस्तारण करें।

10. अतःअपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर के आदेश दिनांक 15.05.2018 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि वे पक्षकारान को जवाब/सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए, प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 4 व 09 जाप्ता दीवानी का निस्तारण करें। पक्षकारान को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 31.10.2022 को उपस्थिति होने हेतु पाबंद किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11 निर्णय आज दिनांक 20.09.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर